प्रश्न सं. [क्र. 307]

न्यायालय कलेक्टर, जिला–निवाड़ी(म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 0002/अ–19(3)/2020–2021

परिशिष्ट-1

रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
ग्वालियर रोड, झांसी (उ.प्र.)
---(प्रथम पक्ष)

बनाम
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग
----(द्वितीय पक्ष)

आदेश

(दिनांक 04. 07. 2020 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कुलपति, रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर रोड झांसी (उ.प्र.) द्वारा पत्र क्रमांक 23/आर.एल.बी.सी.ए.यू/2020 दिनांक 23.5.2020 के माध्यम से लेख किया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर रोड झांसी (उ.प्र.) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास हेतु वर्ष 2014 में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन स्थापित किया है, विश्वविद्यालय किसानों को जागरूक करने एवं कृषि तथा संबंधित विषयों की जानकारी क्षेत्र के किसानों को देने के लिए जनपद निवाड़ी में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव वित्तीय सहायता हेतु प्रेषित करना है, जिसके तहत बागवानी, शाकभाजी, तथा पशुपालन आदि के उत्थान को सुनिश्चित किये जाने के लिये कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिये उपयुक्त 20 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर तहसीलदार निवाड़ी से विस्तृत जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। ग्राम हर्षमऊ तहसील निवाड़ी स्थित खसरा नम्बर 241 रकबा 15.471 हेक्टेयर रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर रोड झांसी (उ.प्र.) को आवंटित किये जाने के संबंध में इश्तहार का प्रकाशन किया गया, समयावधि में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। मुख्य नगरपालिका अधिकारी निवाड़ी के द्वारा भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में सहमति दी गयी। पटवारी हल्का हर्षमऊ से स्थल निरीक्षण उपरांत जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अतः ग्राम हर्षमऊ तहसील निवाड़ी स्थित खसरा नम्बर 241 रकबा 15.471 हेक्टेयर रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर रोड झांसी (उ.प्र.) को आवंटित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी द्वारा भी अपने प्रकरण क्रमांक 002/अ–19(3)2020–2021 प्रतिवेदन दिनांक 03.07.2020 द्वारा भूमि आवंटित किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

(2)

ile No. AGR/9/0024/2025-Sec-2-14(AGR) (Computer No. 426285)

प्रकरण में संलग्न अभिलेख, सुसंगत प्रावधानो, एवं तहसीलदार निवाड़ी एवं अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये ग्राम हर्षगढ़ तहसील निवाड़ी स्थित खसरा नम्बर 241 रकबा 15.471 हेक्टेयर भूमि रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर रोड झांसी (उ.प्र.) को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक (एक) की कंडिका 36 व नवीन संशोधित शासन आदेश क्राप 6–7/2013/सात–2/ दिनांक 13 फरवरी 2013 मे दिये गये निर्देशानुसार रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर रोड झांसी (उ.प्र.) को निम्न शर्तो के अधीन आरक्षित/आवंटित की जाती है।

1 आरक्षित /आवंटित भूमि जिस उद्देश्य हेतु आरक्षित है उसी के लिए उपयोग की जावें।

2 आवंटित भूमि का उपयोग दो वर्ष के अन्दर आवश्यक रूप से किया जावे.

3. अपरिहार्य कारणो को छोडकर समयसीमा में प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग न होने पर उक्त आरक्षण/आवंटन आदेश स्वमेव माना जावेगा।

(अक्षय कुमार सिंह)
कलेक्टर,
जिला–निवाडी (म.प्र.)

प्रतिलिपि : तहसीलदार, निवाड़ी आदेश का पालन अभिलेख में कराये जाने उपरांत संशोधित खसरा अभिलेख की प्रति सहित मूल प्रकरण इस न्यायालय को एक सप्ताह में वापिस भिजवाये।

कलेक्टर,
जिला–निवाडी (म.प्र.)

ile No. AGR/5/0024/2025-Sec-2-14(AGR) (Computer No. 426285)

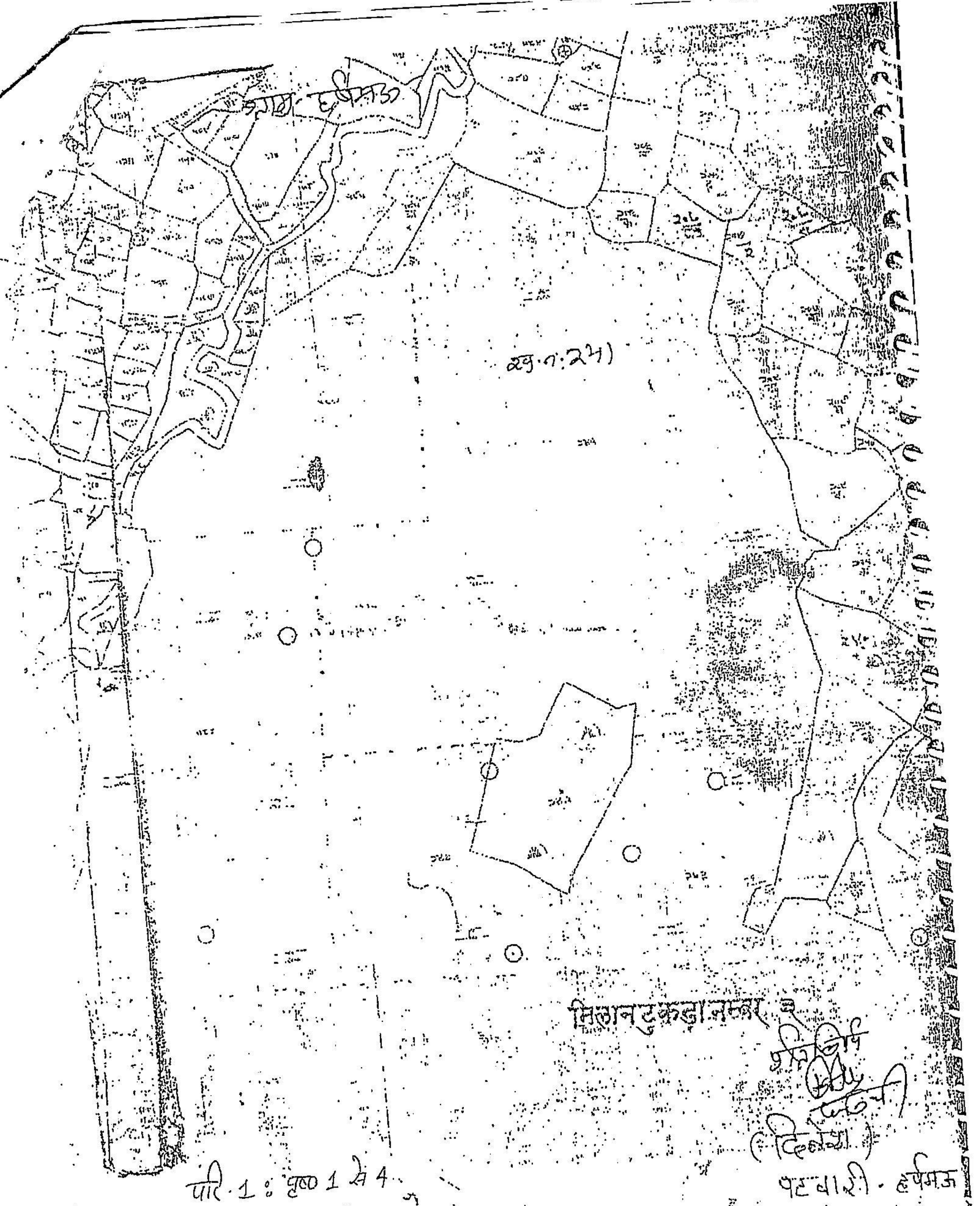

उप संचालक
संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र. भोपाल

(48)

ile No. AGR/9/0024/2025-Sec-2-14(AGR) (Computer No. 426285)